न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की, जिला हरिद्वार।
मूलवाद संख्या–12 / 2024
सी0एन0आर0 नं0–UKHA07-00015-2024
श्रीमती सीमा आदि विरूद्ध जहूरिया चैरिटेबल ट्रस्ट आदि।

दिनांक 07.08.2026–

पुकारा गया। पुकार पर वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघूदेव एवं प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज प्रताप सिंह न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 149ग2, सूची कागज संख्या 150ग1 से न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम हरिद्वार में योजित प्रकीर्ण वाद संख्या 216 / 2025 मोहन लाल विरूद्ध दिव्य योग मन्दिर आदि में पारित आदेश दिनांकित 30.08.2025 की सत्यप्रति एवं फौजदारी निगरानी वाद संख्या 254 / 2025 मोहन लाल विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.07.2026 की सत्यप्रति को पत्रावलित किये जाने की प्रार्थना की गई। वादी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है। सुना, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वाद प्रारम्भिक स्तर पर है, प्रपत्रों पर बिना गुण, दोष के टिप्पणी करते हुए, संलग्न प्रपत्र वाद के पूर्ण एवं विधिवत् निस्तारण के दृष्टिगत न्यायाहित में पत्रावलित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण रिबटल हेतु स्वतन्त्र हैं।

2. तत्पश्चात् पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 91ग2 एवं प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2 पर एक साथ सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 91ग2 आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908।

3. प्रार्थीगण / वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 91ग2 में यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा अपने अतिरिक्त उत्तर पत्र में कुछ तथ्य वाद पत्र से अलग से प्रस्तुत किये हैं, उक्त कथनों का अतिरिक्त जवाब नहीं दिया गया, तो वाद में कोई कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी, वादी अविलम्ब उक्त वाद में जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी / वादी द्वारा जवाब–उल–जवाब को

पत्रावली पर रखे जाने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र वाद में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश 8 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के प्रावधान का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है, जोकि यह प्रावधानित करता है कि–

प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन, जो मुजरा के या प्रतिदावे के विरूद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न हो, न्यायालय की अनुमति से ही और ऐसे निबन्धनों पर, जो न्यायालय ठीक समझे, उपस्थित किया जायेगा, अन्यथा नही, किन्तु न्यायालय पक्षकारों में किसी से भी लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन किसी भी समय अपेक्षित कर सकेगा और उसे उपस्थित करने के लिए 30 दिन से अनाधिक का समय नियत कर सकेगा।

7. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवर्णित निर्णय में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि–

CIVIL APPEAL NOs. 4148-4149 OF 2009(Arising out of SLP)Nos.23661-23662 of 2007) Olympic Industries Versus Mulla Hussainy Bhai Mulla Akberally & Ors.

So far as this ground is concerned, we do not find that delay is a ground for which the additional counter statement could not be allowed, as it is well settled that mere delay is not sufficient to refuse to allow amendment of pleadings or filing of additional counter statement. At the same time, delay is no ground for dismissal of an application under Order 8 Rule 9 of the Code of Civil Procedure where no prejudice was caused to the party opposing such amendment or acceptance of additional counter statement which could easily be compensated

by cost.

8. माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां विलम्ब से कारित होने वाली क्षति की पूर्ति हर्जे के माध्यम से की जा सकती है, ऐसे में आदेश 08 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। दौराने बहस वादी पक्ष की ओर से यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण का जवाबदावा पत्रावलित होने के उपरान्त जवाबदावा में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में वादी पक्ष की ओर से मात्र स्पष्टता के उद्देश्य से प्रतिउत्तर दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है, प्रतिउत्तर के माध्यम से कोई नवीन अनुतोष नहीं चाहा गया, जोकि वाद की प्रकृति में परिवर्तन कारित करता हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद का निस्तारण पक्षगण को वाद में अपना–अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित है, ऐसे में उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के दृष्टिगत, न्यायालय के मत में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने से विधि के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव दर्शित होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

दीवानी मूलवाद संख्या–12/2024 श्रीमती सीमा आदि विरूद्ध जहूरिया चेरिटेबल ट्रस्ट आदि में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 91ग2 आदेश 8 नियम 9 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/रेपलिका पत्रावलित हो।

पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2 लंच बाद पेश हो।

दिनांक 07.08.2026

(बीनू गुल्यानी)
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।

दिनांक 07.08.2026 लंच बाद–

पत्रावली पेश हुई, वाद पुकारा गया। पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2 पर पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण को लंच पूर्व सुना जा चुका है। पत्रावली निस्तारण हेतु लम्बित है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2।

2. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2 में यह कथन किया गया है कि वादीगण ने उपरोक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं दानपत्र निरस्तीकरण हेतु योजित किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जवाबदावा के साथ प्रस्तुत कर दिये थे, किन्तु कुछ अभिलेखों की प्रतिलिपि पूर्व में प्राप्त नहीं हो सकी थी, जिस कारण से दाखिल नहीं किये जा सके थे, प्रश्नगत अभिलेख प्रतिवादीगण के अहम साक्ष्य हैं, जिन्हे पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति दी जानी आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा सूची से प्रस्तुत दस्तावेजों को पत्रावलित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सूची 142ग1 से एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि सजरा, एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1992, एक किता प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी वर्ष 1406फ0 से 1411फ0, एक किता ई–प्रमाणित प्रतिलिपि मूलवाद संख्या 447/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2025, एक किता ई–प्रमाणित प्रतिलिपि मूलवाद संख्या 448/2024 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 को पत्रावलित किये जाने की अनुमति चाही गयी है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर वादीगण द्वारा आपत्ति न होने का कथन किया गया है।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से दर्शित है कि पत्रावली प्रार्थना पत्र कागज संख्या 102ग2 की सुनवाई हेतु नियत चली आ रही है, वाद में विवाद्यक बिन्दू विरचित नहीं किये गये है तथा वाद प्रारभिक स्तर पर है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा उक्त स्तर पर प्रलेखीय

साक्ष्य/सामग्री पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आदेश 08, नियम 1–क सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है, जोकि इस प्रकार है कि–

1A. Duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him.

(1) Where the defendant bases his defence upon a document or relies upon any document in his possession or power, in support of his defence or claim for set off or counter claim, he shall enter such document in a list, and shall produce it in court when the written statement is presented by him and shall, at the same time, deliver the document and a copy thereof, to be filed with the written statement.

(2) Where any such document is not in the possession or power of the defendant, he shall, wherever possible, state in whose possession or power it is.

(3) A document which ought to be produced in Court by the defendant under this rule, but, is not so produced shall not, without the leave of the Court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit.

(4) Nothing in this rule shall apply to documents-

(a) produced for the cross-examination of the plaintiff's witnesses, or

(b) handed over to a witness merely to refresh his memory.

7. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जिन प्रपत्रों को प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में प्रतिरक्षा का आधार बनाया गया हो, उन प्रपत्रों को उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करते समय सूची सहित पेश किया जाना चाहिए और जहां प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते समय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, तो वह वाद की सुनवाई के दौरान बिना न्यायालय की अनुमति के उपरोक्त प्रपत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही कर सकेगा, परन्तु इस नियम की कोई भी बात उन प्रपत्रों पर लागू नही होगी, जो साक्षी की प्रतिपरीक्षा के लिए या साक्षी की केवल स्मृति ताजा करने के लिए पेश किये

जाये।

8. प्रतिवादीगण की ओर से कथन किया गया है कि उपरोक्त दस्तावेज वाद के न्यायोचित निस्तारण हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, परन्तु पूर्व में प्रति उपलब्ध न होने के कारण पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से दाखिल नहीं किये जा सके थे, जिनको पत्रावली पर दाखिल किया जाना आवश्यक है, अतः उपरोक्त प्रपत्र पत्रावलित किये जाने की अनुमति चाही गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली प्रारम्भिक स्तर पर लम्बित है और जहां तक पत्रावली में अभिवचन प्रस्तुत करने के उपरान्त दौराने सुनवाई प्रपत्र दाखिल किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवर्णित निर्णय में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि– Billa Jagan Mohan Reddy vs Billa Sanjeeva Reddy on 28 January, 1994, 1994 SCR (1) 429

It is settled law that, if the documents are found to be relevant to decide the real issue in the controversy, and when the court felt that interest of justice requires that the documents may be received, exercising the power under Order 4 1, Rule 27 CPC the appellate court would receive the documents and consider their effect thereof. When such is the position, when the documents are sought to be produced in the trial court, before the arguments are completed, normally they may be received; an opportunity given to prove them and rebuttal if any and their relevance and effect they may have, be considered in deciding the issues arising in the controversy.

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि यदि किसी वाद में पक्षगण के मध्य वास्तविक विवादित बिन्दुओं के सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय के मत में कोई प्रपत्र पत्रावली पर ग्रहण किये जाने आवश्यक दर्शित होते हैं, तो ऐसे में न्यायालय उन्हें पत्रावली पर ग्रहण कर द्वितीय पक्ष को उन प्रपत्रों के विरूद्ध खण्डन/रिबटल प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रपत्रों को पत्रावली पर ग्रहण कर सकता है, तत्पश्चात प्रपत्र पत्रावली पर ग्रहण करने के उपरान्त उचित स्तर पर प्रपत्रों की गुण–दोष पर टिप्पणी व्यक्त करना न्यायोचित है।

10. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा वर्तमान वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं दानपत्र निरस्तीकरण के अनुतोष के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्व दायर किया गया है, प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र वाद के निस्तारण में सहायक हो सकते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र पत्रावली पर ग्रहित किये जाते है, तो ऐसे में वादीगण को उपरोक्त प्रपत्रों के सम्बन्ध में खण्डन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकृत किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

दीवानी मूलवाद संख्या—12/2024 श्रीमती सीमा आदि विरूद्व जहूरिया चेरिटेबल ट्रस्ट आदि में, प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 141ग2 स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र, साक्ष्य की ग्राह्यता एवं विधिक प्रासंगिकता पर कोई राय व्यक्त किये बिना, पत्रावली पर ग्रहित किये जाते हैं।

वादीगण उपरोक्त प्रपत्रों के विरूद्व खण्डन/रिबटल प्रस्तुत करने हेतु स्वतत्र है। वादीगण अग्रिम नियत तिथि पर खण्डन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र कागज संख्या 102ग2 दिनांक 15.09.2026 को पेश हो।

दिनांक 07.08.2026

(बीनू गुल्यानी)
सिविल जज (एस0डी0),
रूड़की, जिला हरिद्वार।